अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

विविध वाद सं० 04 / 1997–98

टी०आर० 129 आर० 15 / 2000–01

02.12.2022

राज्य

बनाम

1. नलिनी रंजन, पिता श्री शिव चंद्र प्रसाद
2. श्रीमति मित्रा रेखा देवी (मृत), पति श्री सीता रमन सिन्हा प्रतिस्थापित द्वारा कानूनी प्रतिनिधि श्री सीता रमन सिन्हा पिता स्व० चंद्र किशोर प्रसाद
3. अवध नाथ वर्मा, पिता स्व० शिव नाथ वर्मा
4. आनंद कुमार पिता गनौरी राम रावत
5. रविन्द्र यादव पिता स्व० बी०पी० यादव
6. रंजन कुमार वर्मा पिता स्व० जनार्दन प्रसाद वर्मा
7. शोभा प्रसाद पति बिनय कुमार सिन्हा
8. सुरेश यादव पिता केवलधारी यादव
9. झुन्नी देवी पति धनंजय तिवारी
10. शंकर राम पिता स्व० करमू राम
11. हीरा राम ठाकुर पिता स्व० भागीरथी ठाकुर
12. रेणु देवी पति सुधीर सिंह

निवासी ग्राम अरसन्डे, पो० बोडेया, थाना कॉके, जिला रॉंची

.... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा डब्लु०पी०(सी०) सं० 3180 सन् 2011 मे दिनांक 27.08.2018 को पारित आदेश द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालन ने दिनांक 27.08.2018 द्वारा निम्नलिखित निदेश पारित किया गया है– *In*

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख व साथ।
1	2	3

such circumstances, said order dated 17.07.2001 in Case No-04 of 1997-98/ TR 129R15 of 2000-01 is hereby set aside only to extent it relates to Petitioners and the matter is remitted back to the Deputy Commissioner, Ranchi for passing fresh Order after hearing the petitioners within a period of three Months from the date of receipt of a copy of this Order. The petitioners are directed to appear before the said Authority on 09.10.2018 and file show cause reply before the Deputy Commissioners, Ranchi in the aforesaid Proceeding. This court further finds that the subsequent order dated 04.11.2010 which was passed | pursuant to order passed in W.P(c) No 3832 of 2007 is confined to the petitioners of the said cause Namely Kapildeo Rai Baithit.

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अँचलाधिकारी, काँके अँचल द्वारा मौजा बोड़ेया के खाता सं० 351, प्लॉट सं० 1441 रकबा 7.16 एकड़ एवं मौजा अरसन्डे के खाता सं० 351, प्लॉट सं० 1441 रकबा 3.80 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के जमाबन्दी रद्द करने से सम्बन्धित है।

अँचलाधिकारी द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के अनुसार मौजा अरसन्डे के खाता सं० 351, प्लॉट सं० 1441 रकबा 3.80 एकड़ की मूल जमाबंदी पुराने पंजी में कुमुदनी सिन्हा पति अध्याचरण सिन्हा के नाम से कायम बतलाया गया है तथा प्रथम रसीद दिनांक 12.09.1964 को रसीद सं०–210354 द्वारा निर्गत दर्शाया गया है। उक्त रसीद का सत्यापन अनुमण्डल तथा अँचल के भंडार पंजी से नहीं हो सका क्योंकि इस रसीद का इन्द्राज भंडार पंजी में नहीं है। दूसरी रसीद दिनांक 31.03. 1965 को रसोद सं० 588709 द्वारा निर्गत दर्शाया गया है। दोनो रसीद एक ही वित्तीय वर्ष 1964–65 में निर्गत है जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। एक ही जमाबंदी के लिए एक वित्तीय वर्ष में दो लगान रसीद निर्गत करना अपने आप में विरोधाभाव है। दुसरी रसीद का सत्यापन भी अँचल के भंडार पंजी से नही हो सका जिससे स्पष्ट है कि फर्जी जमाबंदी कायम कर भूमि हड़पने की साजिश की गई है।

अँचलाधिकारी काँके अँचल द्वारा अग्रसारित उपरोक्त प्रतिवेदन के

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

...श का क्रम ...आ और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

आलोक मे तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर रॉची ने आदेश दिनांक 21.12.1999 द्वारा उपरोक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने के अनुशंसा के साथ अभिलेख अपर समाहर्त्ता, रॉची को अग्रसारित कर दिया।

तत्कालीन अपर समाहर्त्ता रॉची ने उपरोक्त वर्णित प्रतिवेदन के आधार पर यह विवेचना करते हुए कि अभिलेख में संलग्न निबंधित केवाला सं0– 3939 दिनांक 11.04.1967 की छायाप्रति देखने से स्पष्ट होता है कि श्रीमती कुमुदनी देवी पति डॉ० अध्याचरण सिंह मौजा अरसन्डे के खाता सं०– 351 के प्लॉट सं०– 1441 रकबा 3.80 ए0 एवं प्लॉट सं०– 1442 रकबा 0.53 ए0 कुल रकबा 4.33 एकड़ भूमि जोधनारायण तिवारी भूतपूर्व जमींदार के भतीजे से दिनांक 27.01.1952 को कथित तौर पर निष्पादित हुकूमनामा से प्राप्त करने का उल्लेख है। यह भूमि गैरमजरूआ मालिक है तथा दिनांक 01.01.1946 के बाद बन्दोबस्ती की गई है। इस प्रकार बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (एच०) का मामला बनता है, इस वाद का अभिलेख उपायुक्त रॉची को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया।

तत्कालीन अधोहस्ताक्षरी रॉची ने उपरोक्त प्रतिवदेन एवं अनुसंशा के आधार पर आदेश दिनांक 17.07.2001 द्वारा मौजा अरसन्डे के खाता सं०–351 के प्लॉट सं०– 1441 रकबा 3.80 ए0 भूमि पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (एच०) मे निहित प्रावधानो के अन्तर्गत उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने का आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत मामले मे निम्नलिखित विवेचना की गई है:–

It is an admitted fact that the land in question i.e. land belonging to Khata No. 351, Plot No. 1441, area 3.80 acre in Arsande mauja is recorded as Gairmajurva Khan in the revisional survey. The O.P's, claimed that this land was settled with Smt. Kumadini Sinha in the year 1952. This assertion suffers from the following defects :-

(a) The Sada hukumnama has been alleged to be issued by one

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

Sri Jodh Narayan Tiwari. Admittedly Josh Narayan Tiwari was not the landlord of the village Arsande. Needless to say that only landlords were competent to issue Sada hukumama.

(b) The hukumama has been alleged to be issued in the year 1952 whereas landlords were competent to do so only prior to 1.1.1946.

(c) A perusal of the hukumama shows that it is not numbered whereas all genuine Sada hukumamas are given a serial number by the landlord.

(d) This Sada hukumama carries initial of some officer with the date as 1.5.1972. Had it been actually issued in the year 1952 then why it was not produced before any Revenue Officer or any court of law

(e) Had it been actually issued in the year 1952 then why didn't Mrs. Kumudini Sinha get her name mutated in Register-II on the basis of this hukumama ? No Rent Receipt has been given in support of the Sada hukumama.

All the points mentioned above suggest that the story of settlement of this land by way of Sada hukumama has been fabricated with a view to grab government land. There is nothing on record to suggest that Mrs. Kumudini Sinha actually came in possession of the land in question on the basis of alleged Sada hukumama. Therefore, all the subsequent transactions originating from Mrs. Kumudini Sinha, Mrs. A. B. Davis and Mount Sahkari Grih Nirman Samiti are bad in the eye of law and revenue procedures.

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

मौजा अरसन्डे के खाता सं०– 351 के प्लॉट सं०– 1441 रकबा 3.80 ए0 भूमि आर० एस० खतियान मे गैरमजुरूआ मालिक, नाम लगान पाने वाले बलदेव नारायण तिवारी के नाम से दर्ज है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

,श का क्रम या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उक्त बलदेव नारायण तिवारी की नावल्द मृत्यु हो गई। उनके सम्पत्ति के वारिस जोध नारायण तिवारी हुए। तत्कालीन जमींदार जोध नारायण तिवारी ने उक्त भूमि को सादा हुकुमनामा के माध्यम दिनांक 27.01.1952 को श्रीमति कुमुदनी सिन्हा को बंदोबस्त कर दिया तथा उन्हे उक्त भूमि पर दखल प्रादन किया। श्रीमति कुमुदनी सिन्हा उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए जमींदार को लगान का भुगतान करने लगी तथा जमींदारी उन्मुलन पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बंदोबस्तधारी कुमुदनी सिन्हा को उपरोक्त भूमि के बावत रैयती मान्यता प्रदान की गई तथा उनके नाम से विधिवत जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया। उक्त श्रीमति कुमुदनी सिन्हा ने दिनांक 11.04.1967 को उपरोक्त प्रश्नगत भूमि श्रीमति ए०बी०डेविस को हस्तांतरित कर दिया। तत्पश्चात वे उक्त भूमि पर दखलकार हुई तथा हाल सर्वे के दौरान बंडा पर्चा भी उनके नाम से निर्गत हुआ। उक्त श्रीमति ए०बी०डेविस ने प्रश्नगत भूमि को माउन्ट सहकारी गृह निर्माण समिति को हस्तांतरित कर दिया, जिन्होने प्रश्नगत भूमि पर प्लॉटिंग कर उसे विपक्षीगणों को विभिन्न निबंधित पट्टे द्वारा हस्तांतरित कर दिया। विपक्षीगणो ने उपरोक्त भूमि को क्रय करने के उपरान्त अपना अपना मकान निर्माण कराकर उसमे निवास कर रहे है। तथा अपने नाम से विधिवत नामान्तरण कराकर उक्त भूमि का लगान सरकार को अदा करने लगे । सरकार द्वारा भूमि के बंदोबस्ती के 48 वर्षो के उपरान्त धारा 4 एच० के अन्तर्गत यह कार्रवाई आरम्भ की गई है तो कालबाधित है। विपक्षी के पूर्वहिताधिकारी कुमुदनी सिन्हा के पक्ष मे की गई बंदोबस्ती वैध है तथा भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानो के विफल करने की दृष्टि या अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के नियति से नही की गई है।

प्रस्तुत मामले में अँचाधिकारी कांके द्वारा पत्रांक 1380 (ii) दिनाक 05.08.2013 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार मौजा अरसण्डे के खाता सं0–351 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। मूल पंजी।। के अनुसार मौजा– अरसण्डे के खाता सं0– 351, प्लॉट सं0

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क. कारवाई के बार टिप्पणी, तारीख स साथ।
1	2	3

1441, रकबा .0755 ए० एवं भूमि मूल पंजी ।। के भाग सं0–5, पृष्ट सं0– 320 में रंजू सिंह के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 1992–93 से वर्ष 2002–03 तक निर्गत है। प्राधिकार कॉलम में " उपायुक्त, राँची के न्यायालय वाद 04/1997–98 टी०आर० 129 आर० 15/2000 के आदेश दिनांक 17.07.2001 के आदेश के अनुसार बिहार भूमि सुधार के नियम के धारा 4(एच०) के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार से सम्पुष्टि के पश्चात् प्रभारी उप समाहर्ता विधि शाखा के ज्ञापांक 474 (ii) दिनांक 16.06.05 एवं अँचल अधिकारी, काँके के ज्ञापांक 297 (ii) दिनांक 28.06.2005 के अनुसार न0 351 प्लॉट न0 1441 रकबा 3.80 एकड़ की जमाबंदी निरस्त किया जाता है " दर्ज है।

मौजा– अरसण्डे के खाता सं0– 351, प्लॉट सं0– 1441, रकबा .0755 ए० भूमि का मूल पंजी ।। के अनुसार लगान रसीद वर्ष 1992–93 से वर्ष 2002–03 तक निर्गत है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि मौजा अरसन्डे के खाता सं० 351, प्लॉट सं० 1441 रकबा 3.80 एकड़ की मूल जमाबंदी पुराने पंजी में कुमुदनी सिन्हा पति अध्याचरण सिन्हा के नाम से कायम बतलाया गया है तथा प्रथम रसीद दिनांक 12.09.1964 को रसीद सं०–210354 द्वारा निर्गत दर्शाया गया है। उक्त रसीद का सत्यापन भंडार पंजी से नहीं हो सका क्योंकि इस रसीद का इन्द्राज भंडार पंजी में नहीं है। दूसरी रसीद दिनांक 31.03.1965 को रसीद सं० 588709 द्वारा निर्गत दर्शाया गया है। दोनो रसीद एक ही वित्तीय वर्ष 1964–65 में निर्गत है जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। एक ही जमाबंदी के लिए एक वित्तीय वर्ष में दो लगान रसोद निर्गत करना अपने आप में विरोधाभाव है। दुसरी रसीद का सत्यापन भी अँचल के भंडार पंजी से नही हो सका जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी के हित पूर्वाधिकारी कुमुदनी सिन्हा के नाम से फर्जी जमाबंदी कायम कर भूमि हड़पने की साजिश की गई है। विपक्षी का दावा वर्ष 1952 ई० मे निष्पादित कथित हुकुमनामा पर आधारित है। यह विधि

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

देश का क्रम या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

द्वारा स्थापित सिद्धान्त है कि अनिबंधित विलेख द्वारा कथित तौर पर की गई बंदोबस्ती का कोई साक्ष्य मुल्य नही है। उपरोक्त भूमि के जमींदार बलदेव नारायण तिवारी थे, जबकि उक्त कथित हुकुमनामा जोध नारायण तिवारी द्वारा जारी किया गया दर्शया गया है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि विपक्षी के पूर्वहिताधिकारी कुमुदनी सिन्हा के पक्ष मे कथित तौर पर की गई बंदोबस्ती अवैध है तथा भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानो के विफल करने की दृष्टि से फर्जी करके बनाया गया है ।

अतः प्रस्तुत मामले मे विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (एच०) के अन्तर्गत धोखाधडी एवं फर्जी कागजतो के आधार पर मौजा अरसन्डे के खाता सं० 351, प्लॉट सं० 1441 रकबा 3.80 एकड़ भूमि के बावत कायम जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है।

इस आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। अपर समाहर्त्ता राँची उचित माध्यम द्वारा इस आदेश की सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने के निमित आवश्यक कार्रवाई करेगे।

उपायुक्त
राँची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:48:25 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d